बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय

BIHAR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

मीठापुर, पटना–800 001 (बिहार)

Tel-0612-2356912, 2356913, Email-registrarbuhs-bih@gov.in

अधिसूचना

पटना, दिनांक 05.08.2023

अ॰सं॰:संब0–6032/2023–511/ बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना की तदर्थ संबद्धता समिति की बैठक में दिनांक–04.08.2023 को बी॰एस॰सी॰ नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी॰एस॰सी॰ नर्सिंग/एम॰एस॰सी॰ नर्सिंग महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा संबद्धता हेतु समर्पित आवेदनों पर सम्यक् विचारापरांत लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नांकित सूची के कॉलम सं0 2 में अंकित नर्सिंग महाविद्यालयों/संस्थानों को कॉलम सं0 4 में अंकित नर्सिंग पाठ्यक्रम एवं कॉलम 5 में अंकित नामांकन क्षमता के लिए बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से सत्र–2023–24 हेतु औपबंधिक संबद्धता (Provisional Affiliation) निम्नांकित नियम एवं शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

Sl No	Name of the Institute	District	Course	Intake Capacity
1	2	3	4	5
1	AIHE Professional Institute	Patna	B.Sc. Nursing	60
2	Ambedkar College of Education	Rohtas	B.Sc. Nursing	60
3	Ambedkar Institute of Higher Education	Patna	B.Sc. Nursing	60
4	Ashoka Nursing & Paramedical College	Nalanda	B.Sc. Nursing	55
			M.Sc Nursing	60 (Medical & Surgical Nursing-20, OBG Midwifery-15, Paediatric Nursing-10, Psychiatric Nursing-5, Community Health Nursing-10)
			Post Basic B.Sc. Nursing	60
5	Baba Rajaram College of Education	Lakhisarai	B.Sc. Nursing	60
6	Chanakya College of Education	Patna	B.Sc. Nursing	60
7	College of Nursing, Kurji Holy Family Hospital	Patna	B.Sc. Nursing	60
8	D. P. Singh Institute of Education	Nalanda	B.Sc. Nursing	60
9	Daksh B.Sc. Nursing College	Siwan	B.Sc. Nursing	60
10	Dashrath Prasad Singh Institute of Health Education	Muzaffarpur	B.Sc. Nursing	60
[illegible]	Dhanarua School of Nursing & Paramedical	Patna	B.Sc. Nursing	100
			Post Basic B.Sc. Nursing	60
			M.Sc. Nursing	60 (Medical & Surgical Nursing-20, OBG-MCH-30, Paediatric Nursing-05, Psychiatric Nursing-05)
[illegible]	Dr. Indira Institute of Nursing and Paramedical	Muzaffarpur	B.Sc. Nursing	60
13	Dr. Trisuldhari Pandey Memorial College of Education	Nalanda	B.Sc. Nursing	60
14	Gautam Institute of Nursing	Nalanda	B.Sc. Nursing	60
15	Gautam Institute of Nursing and Paramedics	Nalanda	B.Sc. Nursing	60

Dashrath Prasad Singh Institute of Health Education
VPO-Bakhri, Near-Mushari Block
Muzaffarpur-842002

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
BIHAR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES

मीठापुर, पटना–800 001 (बिहार)
Tel-0612-2356912, 2356913, Email-registrarbuhs-bih@gov.in

अधिसूचना

पटना, दिनांक 02/12/2024

अ.सं.संबं0–6144/2024–1576/ बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना की तदर्थ संबद्धता समिति की बैठक में दिनांक–27.11.2024 को गैर–सरकारी नर्सिंग महाविद्यालय द्वारा संबद्धता की अवधि विस्तार हेतु समर्पित आवेदनों पर सम्यक् विचारोपरांत लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नांकित सूची के कॉलम सं0 2 में अंकित सत्र–2023–24 हेतु औपबंधिक संबद्धता प्राप्त गैर–सरकारी नर्सिंग महाविद्यालय को सत्र–2023–24 हेतु अस्थायी संबद्धता प्रदान करते हुए कॉलम सं0 3 में अंकित पाठ्यक्रम एवं कॉलम 4 में अंकित नामांकन क्षमता के लिए बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से सत्र–2024–25 हेतु संबद्धता का अवधि विस्तार (Renewal/Extension of Affiliation) निम्नांकित नियम एवं शर्त्तों के अधीन किया जाता है।

Sl No	Name of the Nursing College	Course	Intake Capacity for 2024-25
1	2	3	4
1	Dashrath Prasad Singh Institute of Health Education, Vill-Prahladpur, Via-Silout Po, Near Mushari Block, Muzffarpur-842002	Basic B.Sc. Nursing	60

नियम एवं शर्त्तें:–

1. अस्थायी संबद्धता/संबद्धता का अवधि विस्तार विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम में निहित प्रावधानों के तहत सशर्त प्रदान की जा रही है।
2. अस्थायी संबद्धता/संबद्धता का अवधि विस्तार सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किए जाने एवं अन्य शर्त्तों के अधीन होगी।
3. सभी नर्सिंग महाविद्यालय द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना एवं बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना द्वारा मान्यता संबंधी पत्र में अध्यारोपित शर्त्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
4. महाविद्यालय/संस्थान द्वारा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना से मान्यता प्राप्त सीटों से अधिक नामांकन नहीं लिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना द्वारा स्वीकृत एवं विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता दी गई सीटों की संख्या में किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना द्वारा स्वीकृत सीटों की संख्या ही मान्य होगी।
5. संबंधित महाविद्यालय/संस्थान को निर्देश दिया जाता है कि नामांकित छात्र–छात्राओं के विश्वविद्यालय में पंजीयन के पूर्व वांछित कागजात/शुल्क विश्वविद्यालय कार्यालय में अचूक रूप से समर्पित कर देंगे।
6. विश्वविद्यालय/भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली/स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार आदि द्वारा निर्धारित न्यूनतम आधारभूत संरचना एवं अन्य मापदण्डों की जॉच हेतु विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय/संस्थान का किसी भी कार्य दिवस को औचक निरीक्षण किया जा सकता है। संबंधित महाविद्यालय/संस्थान को सत्र–2024–25 हेतु प्रदान किया जा रहा संबद्धता का अवधि विस्तार निरीक्षण के फलाफल से आच्छादित होगा।
7. महाविद्यालय/संस्थान स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार/बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना/भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली के नियमों/विनियमों आदि का पालन करने हेतु बाध्य होगा।
8. बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अधिनियम/परिनियम/विनियम आदि का पालन करना महाविद्यालय/संस्थान के लिए बाध्यकारी होगा।
9. महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा विश्वविद्यालय में समर्पित आवेदन पत्र के साथ संलग्न कागजातों को सही मानते हुए औपबंधिक संबद्धता /संबद्धता का अवधि विस्तार किया जा रहा है तथा कागजातों के सही होने की संपूर्ण जवाबदेही संबंधित संस्थान की है। भविष्य में किसी भी समय महाविद्यालयों द्वारा समर्पित कागजातों के सत्यापन में गलत पाए जाने की स्थिति में संबद्धता को वापस ले लिया जाएगा तथा नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।

Dashrath Prasad Singh Institute of Health E.
VPO-Prahaladpur
Near-Mushari Block
Muzaffarpur-842002

बिहार सरकार
स्वास्थ्य निदेशालय
आदेश

आ0सं0–6 / एन–08–19 / 2020 713(6) / पटना–15, दिनांक– 16/06/2020

दशरथ प्रसाद सिंह ट्रस्ट फॉर इन्स्टीच्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग रिसर्च एण्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट, ग्राम+पोस्ट–नरसिंहपुर, भाया–रमना पी0ओ0, जिला–मुजफ्फरपुर द्वारा प्रस्तावित दशरथ प्रसाद सिंह इन्स्टीच्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन, ग्राम+पोस्ट–प्रहलादपुर, भाया–रमना पी0ओ0, जिला–मुजफ्फरपुर–842002 के अन्तर्गत बी0एस0सी0 (नर्सिंग) संस्थान की स्थापना के लिए अनुमति हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन, शपथ–पत्र एवं अन्य अभिलेख समर्पित किया गया।

(2) सम्यक विचारोपरांत नर्सेज ट्रेनिंग–रिकोगनिशन एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ इक्जामिनेशंस ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम–04 के उपनियम–II के अन्तर्गत वर्णित प्रावधानानुसार दशरथ प्रसाद सिंह इन्स्टीच्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन, ग्राम+पोस्ट–प्रहलादपुर, भाया–रमना पी0ओ0, जिला–मुजफ्फरपुर–842002 के अन्तर्गत बी0एस0सी0 (नर्सिंग) संस्थान की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान की जाती है।

(3) भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली द्वारा निर्गत मार्गदर्शन तथा स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक–116(6) दिनांक–15.02.2017 में दिए निदेश के आलोक में संस्थान द्वारा भवन निर्माण करने एवं नियमानुसार भौतिक संसाधनों एवं मानव संसाधनों की उपलब्धता के पश्चात् संस्थान द्वारा मान्यता के लिए स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को आवेदन पत्र आदेश ज्ञापांक–989(6), दिनांक–05.08.2019 द्वारा निर्गत चेकलिस्ट में समर्पित करना होगा तथा मान्यता प्राप्ति के पश्चात् ही विद्यार्थियों का नामांकन कर पठन–पाठन का कार्य आरंभ होगा।

(4) संस्थान को मान्यता के लिए आवेदन आदेश निर्गत की तिथि से अधिकतम 9 माह के अन्दर समर्पित करना होगा। निर्धारित अवधि के अन्दर मान्यता आवेदन समर्पित नहीं करने की स्थिति में अनुमति आदेश स्वतः रद्द समझा जायेगा तथा नये सिरे से अनुमति के लिए आवेदन समर्पित करना होगा।

ह0/–
(डॉ0 तपेश्वर प्रसाद)
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 713(6) पटना, दिनांक:– 16/08/2020

प्रतिलिपि:– विशेष सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:–सचिव, दशरथ प्रसाद सिंह इन्स्टीच्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन, ग्राम+पोस्ट–प्रहलादपुर, भाया–रमना पी0ओ0, जिला–मुजफ्फरपुर–842002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

Dashrath Prasad Singh Institute of Health Education
VPO-Prahaladpur
Near-Mushari Block
Muzaffarpur-842002

बिहार सरकार
स्वास्थ्य निदेशालय
आदेश

आ0सं0–6/एन0–08–19/2020–......... /पटना–15, दिनांक–..................................

विभागीय आदेश ज्ञापांक–713(6), दिनांक–16.06.2020 द्वारा नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम–4(ii) के आलोक में दशरथ प्रसाद सिंह ट्रस्ट फॉर इन्स्टीच्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग रिसर्च एण्ड कम्यूनिटी डेवलपमेंट, ग्राम–पोस्ट–नरसिंहपुर, भाया रमना पी0ओ0, थाना–मुशहरी, जिला–मुजफ्फरपुर द्वारा प्रस्तावित दशरथ प्रसाद सिंह इन्स्टीच्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन, ग्राम+पोस्ट–प्रहलादपुर, भाया–सिलौत पी0ओ0, जिला–मुजफ्फरपुर–842002 को बी0एस0सी0 नर्सिंग संस्थान की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान किया गया।

2 – विभागीय आदेश ज्ञापांक–514(6), दिनांक–12.04.2021 द्वारा संस्थान को मान्यता प्रदान किए जाने हेतु डॉ0 देवेन्द्र कुमार गुप्ता, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। विशेषज्ञ समिति द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप उपलब्ध भौतिक संसाधनों, मानव संसाधनों तथा अन्य सुविधाओं की जांच एवं निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

3 – विशेषज्ञ समिति के अनुशंसा के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त दशरथ प्रसाद सिंह इन्स्टीच्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन, ग्राम+पोस्ट–प्रहलादपुर, भाया–सिलौत पी0ओ0, जिला–मुजफ्फरपुर–842002 को नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम–4 (iii) के आलोक में बी0एस0सी0 नर्सिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 60 (साठ) सीटो पर नामांकन लेने हेतु एक सत्र के लिए निम्न शर्तों पर मान्यता प्रदान की जाती है:–

(क) संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों/निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए संचालित की जायेगी। असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर समय–समय पर संस्थान की गुणवत्ता का निरीक्षण कर प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

(ख) नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 एवं समय–समय पर सरकार द्वारा लागू की गयी नियमावली में निहित प्रावधानों का अनुपालन संस्थान द्वारा किया जायेगा। भारतीय उपचर्या परिषद् की अर्हताओं की अवहेलना होते ही संस्थान की मान्यता रद्द कर दी जायेगी।

(ग) उक्त संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अद्यतन दिशा–निर्देश के आलोक में अपना निरीक्षण करा लेंगे।

(घ) कुल आवंटित सीटों में से 50% छात्र/छात्राओं का नामांकन सरकार के निर्णयानुसार की जायेगी।

(ङ) संस्थान आर्यभट ज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर फॉर्म एरिया, मीठापुर, पटना से संबद्धता प्राप्त कर लेगी।

(च) संस्थान की प्रशासी इकाई में (i) क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर (ii) सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर तथा (iii) अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सदस्य मनोनीत किया जाता है।

4 – इसमें माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(डॉ0 सुनील कुमार झा)
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

Dashrath Prasad Singh Institute of Health Education
VPO-Prahladpur
Near-Mushari Block
Muzaffarpur-842002

क्रमश

ज्ञापांक : 6/एन0–08–19/2020........216(6) पटना दिनांक -10/02/2023

प्रतिलिपिः– सचिव, दशरथ प्रसाद सिंह इन्स्टीच्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन, ग्राम+पोस्ट–प्रहलादपुर, भाया–सिलौत पी0ओ0, जिला–मुजफ्फरपुर–842002 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, 8वां तल्ल, एन0बी0सी0सी0 सेंटर, प्लॉट नं0–2, कम्यूनिटी सेंटर, ओखला फेज–01, नई दिल्ली–110020/निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निबंधक, आर्यभट ज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर फॉर्म एरिया, मीठापुर, पटना–800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– विशेष कार्य पदाधिकारी, बी0सी0ई0सी0ई0बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10/2/23

निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

Dashrath Prasad Singh Institute of Health Education
VPO-Prahaladpur
Near-Mushari Block
Muzaffarpur-842002